E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–73/2022.........4637 दि0 16/12/2022

आदेश

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम– 8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–1624 दिनांक– 02.07.2022 एवं आदेश सं0–1818 दिनांक– 21.07.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री कल्याणजी को सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल के द्वारा दी गई है। प्रस्तुत अपील में निर्धारित तिथि 14.10.2022 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभपक्षों को सुनकर अपील को आदेश पर रखा गया है।

दिनांक– 05.05.2022 को नालंदा जिला के निरीक्षण के क्रम में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की ग्रामवार समीक्षा की गई, जिसमें श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा उन्हें आवंटित मौजा–रामपुर, राजस्व थाना नं0–253 का किस्तवार कार्य 01 वर्ष की लम्बी अवधि में पूर्ण किया गया है। खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। साथ ही मौजा–तीरा, थाना नं0–123 का किस्तवार कार्य 01 वर्ष की लम्बी की अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है। समीक्षात्मक बैठक में इस संबंध में उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

निदेशालय द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, श्री कल्याणजी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त। स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गई।

प्राप्त मंतव्य पर निदेशक के समीक्षा में पाया गया कि श्री कल्याणजी द्वारा मौजा–रामपुर का किस्तवार कार्य 01 वर्ष की लम्बी अवधि में पूर्ण किया गया है। खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। साथ ही मौजा–तीरा का किस्तवार कार्य 01 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री कल्याणजी के कार्यों की उपलब्धि अधिनियम/नियमावली में वर्णित समय–सीमा के विपरीत है।

स्पष्ट है कि श्री कल्याणजी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है एवं इनके द्वारा इतने महत्त्वपूर्ण कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री कल्याणजी के कृत्य से भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य एवं अन्य कर्मियों पर इसके कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इनका संविदा रद्द किया गया है।

साथ ही श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से कराई गई। विश्वविद्यालय के पत्रांक–405 दिनांक– 19.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि छात्र संस्थान से संबंधित नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री कल्याणजी से स्पष्टीकरण की मांग निदेशालय के पत्रांक– 1435 दिनांक– 15.06.2022 द्वारा की गई। इनके द्वारा दिनांक– 18.06.2022 को स्पष्टीकरण दाखिल किया गया। श्री कल्याणजी द्वारा उक्त के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता है। इस प्रकार सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री कल्याणजी गलत/फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये है।

उपरोक्त उल्लेखित सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा पारित आदेश संख्या– 1624 दिनांक– 02.07.2022 एवं पत्रांक– 1818 दिनांक– 21.07.2022 में किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा कार्य की उपलब्धि अधिनियम/ नियमावली में वर्णित समय–सीमा एवं विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका– 4(vi) में निहित प्रावधान एवं ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के तहत श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा रद्द किया गया है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचना के आलोक में श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन की अपील अस्वीकृत की जाती है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–73/2022 4637 **पटना, दिनांक** :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– श्री कल्याणजी (Emp. ID No.- AEN00298), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा, Email-kalyanjeecpr@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22
(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–73/2022 4637 **पटना, दिनांक** :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–75/2022 4637 **पटना, दिनांक** :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–73/2022 4637 **पटना, दिनांक** :– 16/12/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/12/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप